उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-62/2015/1764/26-3-2015-4(26)/2015

लखनऊः दिनांकः 05 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 चौधरी निवासी-ग्राम बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा जिला-सिद्वार्थनगर को अन्य पिछड़ा वर्ग की गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्याः 742 दिनांक-17.04.2000 निर्गत किया गया। श्री अब्दुल मतीन को गद्दी अन्य पिछडे वर्ग का निर्गत जाति प्रमाण पत्र के विरूद्व ग्राम बरगदवा टप्पा कोट, तहसील इटवा सिद्वार्थनगर के श्री रामराज पुत्र रामसुमरन द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील इटवा जिला सिद्वार्थनगर को शिकायती पत्र प्रेषित करते हुये श्री अब्दुल मतीन को सामान्य वर्ग का मुसलमान बताते हुये जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की मांग की गयी थी।

2- श्री रामराज द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जांच प्रचलित हुई। जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, सिद्वार्थनगर द्वारा जाँचोपरान्त निर्णय दिनांक-11-09-2012 व दिनांक-09.04.2013 के अनुसार श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 चौधरी (वास्तविक नाम यार मोहम्मद) निवासी-ग्राम बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा जिला, सिद्वार्थनगर को अपने पिता के खानदारी सिजरा एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से सामान्य श्रेणी का मुसलमान पाया तथा श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 चौधरी के पक्ष में निर्गत पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, सिद्वार्थनगर के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी श्री अब्दुल मतीन ने मण्डल स्तरीय अपीलीय फोरम, बस्ती के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। मण्डल स्तरीय अपीलीय फोरम ने अपने निर्णय दिनांक-08.05.2013 में श्री अब्दुल मतीन को अन्य पिछड़े वर्ग की 'गद्दी' पिछड़ी जाति का न पाते हुये सामान्य वर्ग का मुसलमान पाते हुये अपील निरस्त कर दी गयी।

3- मण्डलीय, अपीलीय फोरम बस्ती मण्डल, बस्ती के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी श्री अब्दुल मतीन द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-17.07.2013 प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/16/92/1996-टी0सी0-3, दिनांक-05.01.1996 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण की पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में गठित सतर्कता प्रकोष्ठ से जांच करायी गयी। निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक-29.08.2014 द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक-20.03.2014 राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी को उपलब्ध करायी गयी।

प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-14.05.2015 को आहूत करते हुये बैठक की सूचना श्री अब्दुल मतीन को दी गयी थी। अब्दुल मतीन उक्त तिथि को सुनवाई के समय उपस्थित नही हुये। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बैठक में सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या एवं अपीलार्थी की अपील में उल्लिखित तथ्यों का परिशीलन किया गया।

4- सतर्कता प्रकोष्ठ ने अपनी जांच आख्या में नायब तहसीलदार, इटवा, सिद्धार्थनगर की रिपोर्ट दिनांक-05.03.2011/10.06.2011 एवं तहसीलदार, इटवा की रिपोर्ट दिनांक-28.04.2011 तथा अब्दुल मतीन व विपक्षी श्री रामराज यादव के बयान एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेख के साक्ष्य तथा ग्रामीणों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर यह आख्या दी गयी कि नायब तहसीलदार, इटवा की आख्या दिनांक-05.03.2011 जो उपजिलाधिकारी इटवा, सिद्धार्थनगर को सम्बोधित रूप में प्रेषित है, में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 1140/2009, दिनांक-22.12.2009 जो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2010 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लेने विषयक है, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग में रहेगी। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने से उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा अनारक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने पर भी जिस आरक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई है, उस आरक्षित वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगी। नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बदगदवा का मायका ग्राम फरेंदा टप्पा करही तहसील इटवा, सिद्वार्थनगर में है। खानदानी सेजरा इस प्रकार हैः-

ऐनुल्लाह				
हदीसुल्लाह			जमील्लाह	
अब्दुल खलीक	मकबूल	चार पुत्रियां नफीसा खातून की बरगदवा में शादी हुयी	समीउल्लाह	मुहम्मद मुस्तफा

ग्राम फरेंदा में उपस्थित ग्रामवासियों से पूछताछ की गयी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम फरेंदा टप्पा करही निवासी हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह की पुत्री नफीसा खातून का विवाह अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा टप्पा कोट के साथ हुआ है। जाँच पड़ताल एवं पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि ग्राम फरेंदा टप्पा करही में 'गद्दी' जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। ग्राम फरेंदा में सात परिवार 'फकीर' जाति के हैं तथा शेष सभी 'सवर्ण मुसलमान' हैं। इस प्रकार अपने जन्म स्थान फरेंदा के अनुसार नफीसा खातून पुत्री हदीसुल्लाह (पत्नी अब्दुल मतीन, निवासी ग्राम बरगदवा) गद्दी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) की व्यक्ति नहीं है। नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम-बरगदवा के ससुराल पक्ष से विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नफीसा खातून के नाम क्रमांक 5441033700 दिनांक 25.09.2010 को अन्य पिछड़ा वर्ग 'गद्दी जाति' का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नकल खतौनी 1323-1324 फ0 ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर टप्पा-करही परगना रसूलपुर तहसील-डुमरियागंज जिला-बस्ती के खाता संख्या 17 पर रूस्तम व आलम व रहमत पिसरान मदारन कौम मुसलमान साकिनदेह अंकित है। खानदानी सेजरा इस प्रकार है-

मदारन												
मो0 खलील	आलम									रहमत		
	मो0 इद्रीस			मो0 इसहाक			दोस्त मोहम्मद			धार मोहम्मद		
	जमील अहमद	मुख्तार अहमद	निसार अहमद	अनवरलहक	फत्ते मो0	मो0 आजम	मो0 अजीज	कल्लन	मो0 नईम	अब्दुल मतीन	गुडडू मतक	अब्दुल कादिर

नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के खाता सं0'25 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्र यार मोहम्मद व मेहरूनिशा बेवा यार मोहम्मद निवासी,ग्राम बरगदवा टप्पाकोट का नाम अंकित है। ग्राम, बरगदवा टप्पाकोट तहसील, इटवा की खतौनी 1412-1417 फ0 के गाटा सं0 341,343,345,536,537,539,557,575,576,583 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद व मेहरूनिशा पत्नी यार मोहम्मद निवासी ग्राम, बरगदवा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है, कि नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा के पति अब्दुल मतीन के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों के अनुसार यार मोहम्मद है तथा यार मोहम्मद के पिता का नाम रहमत पुत्र मदारन है। रहमत पुत्र मदारन मूल रूप से रमवापुर उर्फ विशुनपुर के निवासी थे, जिनके खानदान के कुछ लोग ग्राम बरगदवा टप्पाकोट में बस गये। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988 में मकान क्रमांक 103/ब पर अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद व मकान क्रमांक 103/त पर अब्दुल कादिर पुत्र यार मोहम्मद का नाम अंकित है। छात्र/छात्रा पत्रावली तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यारमोहम्मद निवासी ग्राम बदगदवा अंकित है तथा जन्म तिथि दिनांक-08.03.1959 अंकित है, जो मकतब पाठशाला मैना ईदगाह द्वारा निर्गत किया गया है। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचक नामावली तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यारमोहम्मद अंकित है। बाद में परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत बरगदवा न्याय पंचायत, भिलौरी क्षेत्र पंचायत-सुनियांव में अब्दुल मतीन के पिता का नाम चौधरी तथा इनके भाई अब्दुल कादिर के पिता का नाम चौधरी अंकित कर दिया गया। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1995 में क्रमांक 664 पर यार मोहम्मद पुत्र रहमत तथा क्रमांक 665 पर मेहरूनिशा पत्नी यारमोहम्मद का नाम अंकित है, परन्तु क्रमांक 666 पर अब्दुल मतीन के पिता का नाम चौधरी अंकित कर दिया गया है। ब्लाक-सुनिया के ग्राम पंचायत बरगदवा के बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के क्रमांक 16619 पर अब्दुल मतीन के नाम के सम्मुख कुल अंक (Total Score) शून्य अंकित है तथा क्रमांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16620पर अब्दुल कादिर के नाम के सम्मुख कुल अंक (Total Score) 36 अंकित है। अब्दुल मतीन तथा अब्दुल कादिर दोनों सगे भाई हैं तथा पिता का नाम यार मोहम्मद है, अतः अब्दुल मतीन के नाम के सम्मुख फर्जी प्रविष्टियां की गयी हैं तथा बी0पी0एल0 सर्वे के जाति के कालम में एस0सी0 (अनुसूचित जाति) अंकित किया गया है। अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा सामान्य जाति के मुसलमान हैं। अतः बी0पी0एल0 सर्वे 2002 ग्राम पंचायत बरगदवा के क्रमांक 16619के सम्मुख एस0सी0 (अनुसूचित जाति) अंकित किया जाना प्रथमदृष्टया जालसाजी तथा धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अब्दुल मतीन द्वारा अपने पिता का नाम चौधरी बताया है तथा क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 को अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी निवासी ग्राम, बरगदवा टप्पाकोट के नाम गद्दी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि अब्दुल मतीन के पिता का वास्तविक नाम यार मोहम्मद है, परन्तु तथ्यों को छुपाकर जालसाजी एवं धोखाधड़ी करके पिता का नाम चौधरी लिखा गया है तथा बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में अनुसूचित जाति का होना बताया गया है तथा परिवार रजिस्टर में जाति का कालम नहीं होने के बावजूद भी अन्य पिछड़ा वर्ग की 'गद्दी' जाति अंकित किया गया है। ग्राम बरगदवा के उपस्थित ग्रामवासी गिरीश चतुर्वेदी व रामशब्द त्रिपाठी, रामराज व चैतू चैहान, संजय, अनिल कुमार, देवदत्त, सुखराम व बाबूराम आदि ने बताया कि यार मोहम्मद के दो लड़के हैं अब्दुल मोतीन व अब्दुल कादिर। अब्दुल मोतीन पुत्र स्व0 यार मोहम्मद तथा इनका पूरा खानदान गद्दी जाति के व्यक्ति नहीं हैं, के सम्बन्ध में खानदान के मुख्तयार अहमद व नसीर अहमद द्वारा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न होने के कारण नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा, जो हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेंदा की पुत्री हैं अनारक्षित वर्ग सामान्य जाति की महिला हैं। इनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 25.09.2010 क्रमांक 5441033700 गद्दी जाति (पिछड़ी जाति) का प्रमाण पत्र बनवाया गया है। इसी प्रकार अब्दुल मोतीन निवासी ग्राम बरगदवा द्वारा अपने पिता का नाम बदलकर अभिलेखीय साक्ष्यों को छुपाकर बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में अनुसूचित जाति तथा परिवार रजिस्टर में 'गद्दी जाति' (पिछड़ी जाति) अंकित करवा कर गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 'गद्दी जाति' का प्रमाण पत्र निर्गत करवाया गया है। दोनों ही मामलों में जालसाजी एवं धोखाधड़ी का प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

नायब तहसीलदार, इटवा सिद्धार्थनगर की आख्या दिनांक 10.06.2011 जो उपजिलाधिकारी इटवा, सिद्धार्थनगर को उनके पत्रांक 3201/आशु./दिनांक 30.05.2011 दिनांक 07.06.2011 के सन्दर्भ में दी गयी में उल्लेख है कि वर्तमान जांच आख्या प्रार्थी श्री रामराज पुत्र सुमिरन निवासी ग्राम बरगदवा टप्पाकोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में उपजिलाधिकारी इटवा को प्रस्तुत की गयी है। श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 यार मोहम्मद के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खानदान के श्री जफरूल्लाह के नाम जो गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, उसके विरूद्व श्री राजेश चतुर्वेदी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2010 में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु प्रार्थी श्री रामराज पुत्र श्री राम सुमिरन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर इस तथ्य को सामने लाया गया है कि श्री अब्दुल मतीन ने राजस्व अभिलेख, विद्यालय/मदरसा के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्रों में अपने पिता का नाम चौधरी अंकित करवा दिया है। इस प्रकार अब्दुल मतीन के नाम निर्गत जाति प्रमाण पत्र (गद्दी जाति) सत्य नहीं पाया गया। तहसीलदार इटवा, जिला सिद्वार्थ नगर की रिपोर्ट दिनांक 28.04.2011 में भी श्री अब्दुल मतीन की पत्नी श्रीमती नफीसा खातून निवासी बरगदवा जिनकी भी जाति के सम्बन्ध में विवाद था, उनकी जाति गद्दी नहीं पायी गयी है। श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी बरगदवा टप्पाकोट के नाम क्रमांक 5441033700 दिनांक 25.09.2010 को अन्य पिछड़ा वर्ग 'गद्दी' जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के पत्र दिनांक-22.12.2009 जो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2010 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लेने विषयक है। इस शासनादेश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनारक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग में रहेगी, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा आरक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने से उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग में उत्पन्न महिला अनारक्षित वर्ग के पुरूष से विवाह कर लेने अथवा अनारक्षित वर्ग द्वारा गोद लिये जाने पर भी जिस आरक्षित वर्ग में उत्पन्न हुई है। उस आरक्षित वर्ग का आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगी।

श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा का मायका ग्राम फरेन्दा टप्पा करहीं तहसील इटवा में है। नफीसा खातून के पिता का नाम हदीसुल्लाह पुत्र ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा टप्पा करही है। नफीसा खातून के भाई अब्दुल खालिक व मकबूल पुत्रगण हदीसुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा हैं। ग्राम फरेन्दा में जांच में यह पाया गया कि ग्राम फरेन्दा में 'गद्दी' जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। इस प्रकार अपने जन्म स्थान फरेन्दा टप्पा करही के अनुसार नफीसा खातून पुत्री हदीसुल्लाह (पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा) गद्दी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) की व्यक्ति नहीं है। इन्होंने अपने उत्तर दिनांक 23.04.2011 के पैरा 4 में यह उल्लेख किया है कि मेरा मायका नेपाल में है, ग्राम पकड़ी जिला तौलिहवा है, पिता का नाम फत्ते मोहम्मद है, परन्तु इन्होंने इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। फरेन्दा टप्पा करही तहसील इटवा के ग्रामवासियों ने बताया है कि ग्राम फरेंदा टप्पा करही में 7 परिवार फकीर जाति के हैं, शेष सभी सवर्ण मुसलमान हैं। हदीसुल्लाह व जमीरूल्लाह पुत्रगण ऐनुल्लाह निवासी ग्राम फरेन्दा का नाम जो0च0आ0 पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

45 के खाता संख्याः 32 पर अंकित है। हदीसुल्लाह के दो पुत्र अब्दुल खालिद व मकबूल में से मकबूल की मुत्यु हो चुकी है।

श्रीमती नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी-बरगदवा के ससुराल पक्ष ग्राम बरगदवा से पूछताछ एवं जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उनके ससुर का नाम यार मोहम्मद पुत्र रहमत था, रहमत के एक ही लड़का यार मोहम्मद था, नकल जो0च0आ0 पत्र 45 के खाता 25 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद एवं मेहरून्निशा बेवा, यारमोहम्मद निवासी बरगदवा, टप्पा कोट का नाम अंकित है। ग्राम बरगदवा टप्पा कोट के खतौनी सन् 1412 फसली से 1417 फसली के गाटा संख्याः 341, 343, 345, 536, 537, 539, 557, 574, 576, 583 पर अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद व मेहरून्निशा पत्नी यार मोहम्मद नि0 ग्राम बरगदवा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम-बरगदवा के पति अब्दुल मतीन के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों के अनुसार यार मोहम्मद है, तथा यार मोहम्मद के पिता का नाम रहमत पुत्र मदारन है। नकल खतौनी 1323-1324 फ0 ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर टप्पा करही परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती के खाता संख्याः 17 पर रूस्तम व आलम व रहमत पिसरान मदारन कौम मुसलमान साकिनदेह अंकित है। रहमत पुत्र मदारन पुत्र मूल रूप से रमवापुर उर्फ विशुनपुर के निवासी थे, जिनके खानदान के कुछ लोग ग्राम बरगदवा टप्पा कोट में बस गये। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988 में मकान क्रमांक 103/ब पर अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद व मकान क्रमांक 103/त पर अब्दुल कादिर पुत्र यार मोहम्मद का नाम अंकित है। छात्र/छात्रा पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यार मोहम्मद अंकित है, तथा जन्म तिथि दिनांक-08.03.1959 अंकित है, जो मकतब पाठशाला मैना ईदगाह द्वारा निर्गत किया गया है। बाद में परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत बरगदवा, न्याय पंचायत भिलोरी-भिलोरा क्षेत्र पंचायत-खुनियांव में अब्दुल मतीन के पिता का नाम चौधरी अंकित कर दिया गया। साथ ही परिवार रजिस्टर में 'गद्दी जाति' का उल्लेख करवाकर, तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 को अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी निवासी ग्राम बरगदवा के नाम 'गद्दी जाति' का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नफीसा खातून पत्नी अब्दुल मतीन निवासी ग्राम बरगदवा द्वारा क्रमांक 5441033700 दिनांक 25.09.2010 को पिछड़ी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) ''गद्दी जाति'' का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाया गया है। अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद के खानदान के मुख्तार अहमद पुत्र मोहम्मद इंद्रीश निवासी ग्राम बरगदवा व नसीर अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि इनका मूल पैतृक निवासी स्थान रमवापुर उर्फ विशुनपुर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

टप्पा करही है, तथा अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा इनके खानदान के हैं तथा ये लोग सवर्ण जाति के मुसलमान हैं।

श्री अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी निवासी ग्राम बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा, जिला सिद्वार्थनगर ने अपनी गद्दी जाति के सम्बन्ध में विवाद होने के विषय में पूंछने पर बताया कि वह गद्दी जाति का मुसलमान है, उनके पट्टीदार जफरउल्लाह पुत्र खलील जो रमवापुर उर्फ विशुनपुर बगल के गांव में रहते हैं वह भी गद्दी पिछड़ी जाति के हैं। इसीलिए गद्दी पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 742 दिनांक 17.04.2000 तहसील से जारी किया गया था। इसी प्रकार गद्दी जाति का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संख्या 777 दिनांक 17.04.2000 श्री अब्दुल मजीद के पट्टीदार जफरउल्लाह पुत्र खलील को भी जारी किया गया था।

3- सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा स्थलीय भ्रमण कर की गयी गोपनीय पूछतांछ में ग्रामवासियों ने अपना नाम पता छुपाते हुए बताया कि अब्दुल मतीन के पिता का नाम यार मोहम्मद है। चौधरी इन लोगों का टाईटिल है लोग यार मोहम्मद चौधरी के नाम से पुकारते थे। इनका परिवार जमींदार परिवार है। मूल रूप से अब्दुल मतीन चौधरी ग्राम रमवापुर विशुनपुर के रहने वाले हैं। अब्दुल मतीन के पिता यार मोम्मद को बटवारे में खेती बरगदवा में मिली थी। अतः इनका परिवार बरगदवा में आकर रहने लगा। इनके पट्टीदार जफरउल्लाह पुत्र खलील जो रमवापुर उर्फ विशुनपुर में रहते हैं। अपना गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था। उसी समय जफरउल्लाह की पत्नी, अब्दुल मतीन, अब्दुल मतीन की पत्नी नफीसा खातून आदि ने अपने-अपने गद्दी पिछड़ी जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवा लिये थे। इसी पट्टीदारी का सहारा लेकर अब्दुल मतीन अपने को गद्दी पिछड़ी जाति का बताकर पिछड़ा वर्ग का लाभ प्राप्त करना चाहते है और इसी का लाभ लेकर अपनी पत्नी नफीसा खातून जो बगल के गांव के स्व0 हदीसुल्लाह सरपंच की बेटी हैं तथा उच्च जाति की सवर्ण मुसलमान हैं। गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर ग्राम बरगदवा से ग्राम प्रधान बनी हुयी हैं जबकि अब्दुल मतीन के अन्य पट्टीदार जैसे मुख्तयार अहमद का परिवार, दोस्त मोहम्मद का परिवार अपने को सवर्ण उच्च जाति का मुसलमान बताते हैं यह बिल्कुल सही है कि अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी बरगदवा उच्च जाति के सवर्ण मुसलमान हैं तथा उच्च जाति के सवर्णों में ही रिश्तेदारियां हैं।

4- सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा नायब तहसीलदार, इटवा, सिद्धार्थनगर की रिपोर्ट दिनांक 05.03.2011/10.06.2011 तथा अब्दुल मतीन व विपक्षी श्री रामराज यादव के बयान एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेख के साक्ष्य विश्लेषण में निम्न तथ्य प्रकाश में आये जोकि अब्दुल मतीन को उच्च जाति का सवर्ण मुसलमान प्रमाणित करते हैं।

(1) श्री अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी (वास्तविक नाम यार मोहम्मद) निवासी ग्राम बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा जिला सिद्वार्थ नगर को क्रमांक 742 दिनांक 17.04.2000 को गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इस निर्गत जाति प्रमाण पत्र के विरूद्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शिकायतकर्ता श्री राजेश चतुर्वेदी पुत्र जोखन प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा शिकायती प्रमाण पत्र दिनांक 07.09.2010 को दिया गया कि अब्दुल मतीन उच्च सामान्य जाति के मुसलमान हैं। इस शिकायती पत्र की जांच तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री रामानुज राय द्वारा जांच की गयी जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि जफरउल्लाह पुत्र खलील निवासी ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर तहसील इटवा, जिला सिद्वार्थनगर को जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर के आदेश दिनांक 18.07.2008 के अनुसार गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। चूंकि अब्दुल मतीन, जफरउल्लाह पुत्र खलील उपरोक्त के खानदानी (पट्टीदार) हैं। अतः अब्दुल मतीन को क्रमांक 742 दिनांक 17.04.2000 का निर्गत जाति प्रमाण पत्र सही है तथा कुछ ग्रामवासियों के मौखिक बयान भी अंकित किये गये तथा आख्या दिनांक 26.09.2010 प्रेषित की गयी। जफरउल्लाह के संबंध में जब जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर के आदेश का गहन अवलोकन किया गया तो पाया कि जफरउल्लाह पुत्र खलील निवासी ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर तहसील इटवा जिला सिद्वार्थनगर को क्रमांक 777 दिनांक 17.04.2000 को गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा पुनः वर्ष 2005 में जफरउल्लाह पुत्र खलील उपरोक्त द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे तत्कालीन तहसीलदार इटवा ने शिकायत के आधार पर सवर्ण जाति का मुसलमान मानते हुए दिनांक 11.08.2005 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील जफरउल्लाह उपरोक्त ने न्यायालय जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर के यहां योजित की गयी। जिस पर वाद संख्या 16/08 अन्तर्गत धारा विविध निगरानी आदेश विरूद्व तहसीलदार इटवा दिनांक-11.8.2005 बाबत प्रकीर्ण वाद संख्या 01/05 जफरउल्लाह बनाम मो0 जर्रार आदि बाबत मौजा रमवापुर उर्फ विशुनपुर करही में मा0 न्यायालय जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर द्वारा कहा गया कि निगरानीकर्ता ने अपनी पत्नी, रिश्तेदारों के गद्दी जाति के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये, पंचायत अधिकारी ने परिवार रजिस्टर की नकल जो प्रस्तुत की है तथा 17.4.2000 को निगरानीकर्ता को क्रमांक 777 पर गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में 1356 फसली की खतौनी में मुसलमान अंकित होने के कारण प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी गयी। मुसलमान अंकित होना जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रार्थी गद्दी जाति का नहीं है। मुसलमान एक कौम है, कौम का अर्थ वर्ग होता है जाति नहीं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पूर्व में जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है और पुनः जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर उसे निरस्त कर देने का कोई अधिकार नहीं है तथा आदेश किया कि निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.8.2005 बाबत जाति प्रमाण पत्र वाह्य निगरानीकर्ता निरस्त किया जाता है। तत्क्रम में तहसीलदार के आदेश दिनांक 18.7.2008 के आधार पर जफरउल्लाह को क्रमांक 5440830002 दिनांक-03.09.2008 को गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिया गया। चूंकि जफरउल्लाह पुत्र खलील उपरोक्त अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी (वास्तविक पिता यार मोहम्मद) एक खानदान के हैं। अतः अब्दुल मतीन को निर्गत गद्दी जाति का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 742 उपरोक्त सही माना। आख्या दिनांक-26.09.2010 प्रस्तुत की, किन्तु श्री रामराज पुत्र राम सुमिरन द्वारा पुनः जब अब्दुल मतीन की गद्दी जाति न होने के संबंध में तथा गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की शिकायत की गयी तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिससे तत्कालीन नायब तहसीलदार ने विस्तृत जांच से पाया कि अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी (यार मोहम्मद) निवासी ग्राम बरगदवा टप्पा कोट की जाति गद्दी पिछड़ी जाति नहीं है बल्कि सवर्ण उच्च जाति के मुसलमान हैं। गद्दी जाति का निर्गत जाति प्रमाण पत्र गलत निर्गत किया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों को बतौर साक्ष्य सम्मिलित करते हुए अपनी आख्या दिनांक 05.03.2011 प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.04.2011 प्रेषित की गयी। उक्त आख्याओं तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जनपद सिद्वार्थ नगर के कार्यवृत्त दिनांक 11.09.2011 व दिनांक-09.04.2013 के निर्णय से अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी (यार मोहम्मद) निवासी ग्राम बरगदवा टप्पा कोट तहसील इटवा जिला सिद्वार्थ नगर को सवर्ण उच्च जाति का मुसलमान माना है तथा गद्दी जाति के निर्गत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने की संस्तुति की है। जनपद स्तरीय आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक ने मण्डल स्तरीय अपीलीय फोरम/समिति बस्ती मण्डल, बस्ती के समक्ष अपील प्रस्तुत की। मण्डल स्तर पर भी अपीलीय फोरम के कार्यवृत्त दिनांक 08.05.2013 में जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के निर्णय को उचित माना। इस सम्पूर्ण कार्यवृत्त के अवलोकन से अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी निवासी बरगदवा टप्पा कोट, तहसील इटवा जिला सिद्वार्थ नगर को गद्दी पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 742 दिनांक 17.04.2000 गलत निर्गत किया गया है। उक्त अब्दुल मतीन उच्च सामान्य जाति के सवर्ण वर्ग के मुसलमान हैं।

(2) आवेदक श्री अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी द्वारा अपने परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत की, इसमें कालम नम्बर 7 में इस्लाम मुसलमान गद्दी अंकित है जबकि अब्दुल मतीन के सगे भाई अब्दुल कादिर पुत्र चौधरी के परिवार रजिस्टर की नकल में कालम नम्बर 7 में इस्लाम अंकित है। अब्दुल मतीन के खानदानी मुख्तयान अहमद पुत्र इदरीस निवासी बरगदवा पश्चिम के परिवार रजिस्टर के कालम नम्बर 7 में इस्लाम मुसलमान अंकित है। अब्दुल मतीन के ही खानदानी दोस्त मोहम्मद पुत्र आलम चौधरी निवासी ग्राम अमौली एकडेगा न्याय पंचायत भनवापुर तहसील डुमरियागंज, जिला सिद्वार्थ नगर के परिवार में कालम नम्बर 7 में सामान्य अंकित है। दोस्त मोहम्मद के परिवार का रजिस्टर सबसे पुराना है। इस प्रकार से पट्टीदार अब्दुल मतीन सामान्य जाति के मुसलमान है। गद्दी पिछड़ी जाति के नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आवेदक अब्दुल मतीन के खानदानी मोहम्मद सलीम, अनीस अहमद, अब्दुल हलीम पुत्रगण मुख्तयार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा तहसील इटवा जिला सिद्वार्थ नगर द्वारा राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। इन पर सभी के फोटोग्राफ चस्पा हैं, अपने को सामान्य श्रेणी अंकित किया है इस प्रकार से भी अब्दुल मतीन उच्च जाति सामान्य श्रेणी के मुसलमान है। गद्दी पिछड़ी जाति के मुसलमान नहीं हैं।

(4) आवेदक अब्दुल मतीन का मकतब पाठशाला मैना ईदगाह से निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण पत्र संख्या 266 में अब्दुल मतीन इस्लाम पिता का नाम यार मोहम्मद अंकित है, जो0च0 आकार पत्र संख्या 45 खतौनी खाता संख्या 25 अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर पुत्रगण यार मोहम्मद व मेहरूनिशा बेवा यार मोहम्मद अंकित है, विद्युत बिल कनेक्शन संख्या 541140 बिल संख्या एम 440443 बिल तिथि 28.11.2010 में अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद अंकित है, वोटर लिस्ट 171 इटवा विधान सभा क्षेत्र नामावली 1988 भाग संख्या 52 इटवा के मकान नम्बर 103/ब अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद तथा मकान नम्बर 103/स अब्दुल कादिर पुत्र यार मोहम्मद अंकित है। इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों से अब्दुल मतीन के पिता का वास्तविक नाम यार मोहम्मद प्रमाणित है। अब्दुल मतीन द्वारा अपने पिता का नाम चौधरी अंकित कराकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया है, जोकि वास्तव में गलत है।

(5) नकल खतौनी 1323,1324 फसली ग्राम रमवापुर उर्फ विशुनपुर खाता संख्या 17 में आवेदक अब्दुल मतीन के बाबा (पितामह) के नाम रूस्तम वो आलम वो रहमत पिसरान मदारन कौम मुसलमान साकिनदेह अंकित है। उक्त के अतिरिक्त गोपनीय पूछताछ व स्थलीय भ्रमण से भी यह जानकारी प्राप्त हुयी कि अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी बरगदवा टप्पा कोट, तहसील इटवा जिला सिद्वार्थ नगर, जफरउल्लाह पुत्र खलील निवासी रमवापुर उर्फ विशुनपुर जो आपस में पट्टीदार हैं चुनाव लड़ने व अन्य लाभ पाने हेतु अपने नाम गद्दी पिछड़ी जाति के जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराये हैं तथा अपने नाम पता निवास से अपनी-अपनी पत्नियों को भी गद्दी जाति गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराये हैं जबकि इनकी पत्नियों को उनके पैतृक गांव के पता, पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। यह सभी सामान्य उच्च जाति के मुसलमान हैं।

5- अतएव राज्य स्तरीय स्कुरटनी कमेटी ने प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों/अभिलेखों के विवेचन में पाया कि श्री अब्दुल मतीन के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों मे यार मोहम्मद अंकित है एवं यार मोहम्मद के पिता का नाम रहमत पुत्र मदारम है। नकल खतौनी 1323-1324 फसली ग्राम रमवापुर ऊर्फ बिशुनपुर टप्पाकरही परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला-बस्ती के खाता संख्या-17 पर रूस्तम व आलम व रहमत पिसरान मदारन की कौम/जाति मुसलमान साकिनदेह अंकित है। रहमत पुत्र मदारन (अब्दुल मतीन के बाबा रहमत) मूल रूप से रमवापुर ऊर्फ बिशुनपुर के निवासी थे, जिनके खानदान के कुछ लोग ग्राम बरगदवा टप्पा कोट में बस गये। इटवा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1988

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में मकान क्रमांक 103/ब पर अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद व मकान क्रमांक 103/त पर अब्दुल कादिर पुत्र यारमोहम्मद का नाम अंकित है। छात्र/छात्रा पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अब्दुल मतीन के पिता का नाम यार मोहम्मद अंकित है, तथा जन्म तिथि दिनांक-08.03.1959 अंकित है, जो मकतब पाठशाला मैना ईदगाह द्वारा निर्गत किया गया है। बाद में परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायत बरगदवा, न्याय पंचायत भिलोरी-भिलोरा क्षेत्र पंचायत-खुनियांव में अब्दुल मतीन के पिता का नाम चौधरी अंकित कर दिया गया। साथ ही परिवार रजिस्टर में 'गद्दी जाति' का उल्लेख करवाकर, तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर क्रमांक 742 दिनांक 16.04.2000 को अब्दुल मतीन पुत्र चौधरी निवासी ग्राम बरगदवा के नाम 'गद्दी जाति' का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। मतीन पुत्र यार मोहम्मद के खानदान के मुख्तार अहमद पुत्र मोहम्मद इन्द्रिस निवासी ग्राम बरगदवा व नसीर अहमद पुत्र श्री निसार अहमद द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि अब्दुल मतीन व अब्दुल कादिर के पिता यार मोहम्मद निवासी बरगदवा टप्पाकोट, उन्हीं के खानदान के है तथा ये लोग सवर्ण जाति के मुसलमान है। श्री अब्दुल मतीन के खानदानी मोहम्मद सलीम, अनीस अहमद, अब्दुल हलीम पुत्रगण मुख्तयार मोहम्मद निवासी ग्राम बरगदवा तहसील इटवा, जिला-सिद्वार्थनगर द्वारा राशनकार्ड हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में सभी लोगों द्वारा अपना फोटोग्राफ चस्पा किया गया है। जिसमे अपने को सामान्य श्रेणी अंकित किया है। अब्दुल मतीन के सगे भाई अब्दुल कादिर पुत्र चौधरी के परिवार रजिस्टर की नकल में कालम नम्बर 7 में इस्लाम अंकित पाया गया तथा अब्दुल मतीन के खानदानी मुख्तयान अहमद पुत्र इदरीस निवासी बरगदवा पश्चिम के भी परिवार रजिस्टर के कालम नम्बर 7 में इस्लाम मुसलमान अंकित पाया गया। इसी तरह अब्दुल मतीन के ही खानदानी, दोस्त मोहम्मद पुत्र आलम चौधरी निवासी ग्राम अमौली एकडेगा न्याय पंचायत भनवापुर तहसील डुमरियागंज, जिला सिद्वार्थनगर के परिवार में कालम नम्बर 7 में सामान्य अंकित है। दोस्त मोहम्मद के परिवार का रजिस्टर सबसे पुराना है। इस प्रकार उक्त अभिलेखों एवं पारिवारिक संरचना से श्री अब्दुल मतीन के उच्च वर्ग का सामान्य मुसलमान होने की पुष्टि होती है।

अतएव राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी श्री अब्दुल मतीन पुत्र यार मोहम्मद निवासी-ग्राम बरगदवा टप्पाकोट, तहसील, इटवा जिला-सिद्वार्थनगर अन्य पिछड़ा वर्ग की 'गद्दी' जाति के सदस्य नहीं है बल्कि वह उच्च वर्ग के सामान्य मुसलमान है। तद्नुसार अपीलार्थी की अपील दिनांक-17.07.2013 को उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित की जाती है।

एम0पी0 सिंह उपनिदेशक, प्रतिनिधि निदेशालय पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव समाजकल्याण विभाग/अध्यक्ष्य, राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-62/2015/1764/(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
6. श्री अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 चौधरी (यार मोहम्मद) निवासी-ग्राम बरगदवा टप्पाकोट, तहसील, इटवा जिला-सिद्धार्थनगर
7. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।